संदर्भ संख्या : 856/NGT OA-787/19/2020 दिनांक 02/09/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in&ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 18.03.2020 in matter of 787/2019 Satish Kumar & Ors. Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to the above mentioned subject this is to inform you that in compliance of order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on 18.03.2020 in Orignal Application 787/2019 Satish Kumar & Ors. Versus State of Uttar Pradesh, the factual & action taken report is submitted for kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

COMPLIANCE REPORT

IN THE MATTER OF O.A NO. 787/2019

TITLED

Satish Kumar & Ors

Versus

State of Uttar Pradesh

1. Background

The Hon'ble National Green Tribunal had received an application by post against operation of brick kilns by using soft wood, plastic and dung cakes etc. causing air pollution in Village Makimpur Gadi of District Ghaziabad. The complaint was registered as an Original Application and following orders were passed on 17.10.2019:-

"Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter"

Accordingly, survey was carried out and it was found that brick kilns in District Ghaziabad were not operational during the said period. Factual report was filed in Hon'ble Tribunal on 22.01.2020. Hon'ble Tribunal had directed that further report be filed after verification of facts.

It is submitted that the copy of complaint against brick kilns in said villages for using unauthorized fuels has not been made available to Regional Office, Ghaziabad and site has been inspected in compliance of Hon'ble Tribunal's orders only.

2. Factual and Action Taken Report

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders further inspection of Villages Makimpur and Gadi in District Ghaziabad has been carried out. It is submitted that there is no brick kiln in Village Gadi and only one brick kiln is established in Village Makimpur by the name of M/s P.G. Brick Field (Old Name – M/s Shivani Brick Field). The said brick field was found closed during

inspection on 01.09.2020, however, it is evident from baked bricks in the trench that the kiln had been operated.

Kiln representative and locals from Village Makimpur have informed that the kiln was operated during months of April and May, 2020 and was closed thereafter. Also, setting of baked bricks in the trench indicate that although shape of the kiln has been changed to rectangular as per provisions for zig-zag setting but the feeding has been done on FCBTK pattern only, which is in violation of directions of EPCA, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board, same is evident from photographs below.

Also, the said brick kiln has not obtained Consent to Operate (CTO) from the State Board.

Thus, in view of above violations of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, process for issuing closure order, issuing show cause for imposition of Environmental Compensation and filing prosecution against the said kiln has been initiated by the State Board. Directions have been issued to office bearers of Brick Kiln Association, Ghaziabad and brick kilns for not operating kilns in the district in violation of Hon'ble Tribunal's orders in O.A. 1016/2019.

Compliance report is hereby submitted for your kind perusal.

(Subhash Chandra)
Scientific Assistant
UPPCB, Ghaziabad

(B.K. Singh)
Assistant Environment Engineer
UPPCB, Ghaziabad

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 851/ईट भटठा–69 /2020 दिनांक 01/09/2020

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुकिमपुर, तहसील–मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के अनुपालन में ईट भटठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। ईट भटठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है, जो वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ईट–भटठे के विरूद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

Sunil_grap_2019

मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुकिमपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुपालन में आपके निर्देशानुसार ग्राम मुकिमपुर, मोदीनगर मे स्थापित ईट भटठे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठा प्रतिनिधि के रूप में श्री तेजपाल सिंह, मुन्शी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय वर्षा ऋतु/ऑफ सीजन के कारण ईट भटठा बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भटठे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा ईट भटठे से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये।
3. उक्त ईट भटठा का शेप आयाताकार है। निरीक्षण के समय ईट भटठे के ट्रंच मे जिग-जैग पद्धति पर ईट की भराई नही पायी गयी। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भटठा 21 पाये का है।
4. निरीक्षण के समय ईट भटठे के ट्रंच मे पकी हुई ईट की भराई पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भटठे के लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:-

5. निरीक्षण के समय उक्त ईट भटठे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भटठा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्राम वासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भटठे का संचालन माह अप्रेल-मई, 2020 मे किया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान ईट भटठे के परिसर मे प्रतिबन्धित ईधन जैसे प्लास्टिक वेस्ट, रबर, कपड़ा आदि भण्डारित नही पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भटठे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है, जो वायु अधिनियमों एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए ईट-भटठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01/09/2020		01/09/2020
(रणजीत सिंह)	(सुभाष चन्द्र)	(बी0के0 सिंह)
अवर अभियंता	वैज्ञानिक सहायक	सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Sunil_grap_2019

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 853/ईट भटठा -69 /2020 **दिनांक** 01/09/2020

Mail

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अभियंता, वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुकिमपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेशों के अनुपालन में ईट भटठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। ईट भटठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये बिना की गयी है, जो वायु अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

निरीक्षण आख्या के आधार पर उधोग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन शुल्क आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स पी0जी0 ब्रिक फील्ड (पूर्व नाम शिवानी ब्रिक फील्ड), ग्राम मुकिमपुर, तहसील–मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद की निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 787/2019 सतीश कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 के अनुपालन में आपके निर्देशानुसार ग्राम मुकिमपुर, मोदीनगर मे स्थापित ईट भटठे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 01.09.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भटठा प्रतिनिधि के रूप में श्री तेजपाल सिंह, मुन्शी उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. निरीक्षण के समय वर्षा ऋतु/ऑफ सीजन के कारण ईट भटठा बन्द पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भटठे को स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण एवं संचालनार्थ सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि द्वारा ईट भटठे से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये।
3. उक्त ईट भटठा का शेप आयाताकार है। निरीक्षण के समय ईट भटठे के ट्रंच मे जिग-जैग पद्धति पर ईट की भराई नही पायी गयी। इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भटठा 21 पाये का है।
4. निरीक्षण के समय ईट भटठे के ट्रंच मे पकी हुई ईट की भराई पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भटठे के लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत है:-

5. निरीक्षण के समय उक्त ईट भटठे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भटठा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्राम वासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भटठे का संचालन माह अप्रेल-मई, 2020 मे किया गया है।
6. निरीक्षण के दौरान ईट भटठे के परिसर मे प्रतिबन्धित ईधन जैसे प्लास्टिक वेस्ट, रबर, कपड़ा आदि भण्डारित नही पाया गया।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भटठे की स्थापना राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है, जो वायु अधिनियमों एवं मा0 न्यायालयों के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

ईट भटठे के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना आख्या निम्नवत् है:–

- उक्त इकाई नारंगी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। इकाई के विरूद्ध अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रशमन की गणना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0 बी–31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0–1 दिनांक 08.02.19 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF निम्नवत् है:–
- गणना सूत्र में PI =50 को आधार माना जा सकता है (सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी श्रेणीवार उधोग में अंकित स्कोर के आधार पर)

- गणना सूत्र में R=250 को आधार माना जा सकता है।
- गाइड लाइन के अनुसार गणना सूत्र में S=0.5 को आधार माना जा सकता है।
- गणना सूत्र में LF=1.0 को आधार माना जा सकता है।
- निरीक्षण के समय उक्त ईट भटठे के संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु ईट भटठा प्रतिनिधि एवं आस-पास के ग्राम वासियों से वार्ता की गयी। वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि ईट भटठे का संचालन माह अप्रेल-मई, 2020 मे किया गया है। दिनांक 01.04.2020 को आधार तिथि माना जाना सकता है। अर्थात दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.05.2020 के मध्य उद्योग के विरूद्ध Environmental Compensation हेतु गणना सूत्र में N=61 को आधार माना जा सकता है।
- EC=PIxNxRxSxLF=50X61X250X0.5X1.0=3,81,250/-

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये ईट भटठा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन रू0 3,81,250/–अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01/09/2020 | | 01/09/2020
(रणजीत सिंह) | (सुभाष चन्द्र) | (बी0के0 सिंह)
अवर अभियंता | वैज्ञानिक सहायक | सहायक पर्यावरण अभियंता

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Sunil_grap_2019